संख्या-59 /2021/1870ई-2/तेरह-2021-400005

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारीअनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक:: 20 सितम्बर,2021

विषय-मे. डी. एस. एम. शुगर, असमौली(डिस्टिलरी डिवीजन) सम्भल को बी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किए जाने के कारण अधिष्ठापित क्षमता में अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी42/दो-प्रा.डी.-92, दिनांक 10-08-2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक10-08-2021 में आप द्वारा की गयी संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स डी. एस. एम. शुगर, असमौली (डिस्टिलरी डिवीजन), सम्भल को स्वीकृत क्षमता 250 कि. ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 330 कार्य दिवस के आधार पर 825 लाख लीटर वार्षिक के अतिरिक्त अन्तरिम रूप से 25 प्रतिशत अर्थात 206.25 लाख ब.ली. कुल 1031.25 लाख लीटर वार्षिक अल्कोहल का उत्पादन बी-हैवी शीरे से किये जाने की वार्षिक किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा बढ़ी हुयी क्षमता पर नियमानुसार तत्काल अनुज्ञापन शुल्क जमा किया जायेगा तथा आसवनी में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमाण पत्र दिनांक 28-06-2021 के अन्तर्गत लगायी गयी शर्तों का अनुपालन करते हुए बढ़ी हुयी क्षमता पर उत्पादन से पूर्व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कन्सेन्टटू आपरेट प्राप्त कर उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही उत्पादन कार्य किया जायेगा। आसवनी में बी-हैवी शीरे के उपभोग के समाप्त होने पर सी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किये जाने हेतु आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(**उमेश कुमार तिवारी**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in